पत्रांक 1627 आ०वा० पटना१५, दिनांक 23 जून, ०५।
प्र०६ अन्त्योदय -०५।०३

प्रेषक,

श्री अरुण झा,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिलापदाधिकारी।

विषय :- अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत योग्य व्यक्ति।परिवार के चयन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक २१५५ दिनांक १६-४-२००४ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त पत्र के साथ भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त निदेश पत्रांक २१(५)।२००२ पी० डी० ।। दिनांक १६-३-२००४ की प्रति भेजी गई है। जिसमें गृह विहीन अनाश्रय जैसे व्यक्तियों। परिवारों को भी जो अन्त्योदय अन्न योजना की पात्रता रखते हों परन्तु बी० पी० एल० सूची में शामिल नहीं हों तो भी अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल करने का निदेश दिया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर पी० यु० सी० एल० १९६।२००१ में मुख्य आयुक्त श्री डा० एन० सी० सक्सेना एवं विशेष आयुक्त हर्ष मान्डेर से भी पत्र ए० ए० वाई० बी० पी० एल०।ऑल स्टेट्स दिनांक ७-६-२००५ इसी संदर्भ में प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न करते हुए कहना है कि माननीय

(क्र०प०उ०)

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वैसे व्यक्ति । परिवार जो अन्त्योदय योजना की पात्रता रखते हों परन्तु बी० पी० एल० की श्रेणी में उन्हें अब तक शामिल नहीं किया गया हो को भी अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाय । अर्थात् अन्त्योदय योजना में शामिल करने हेतु बी० पी० एल० होने की बाध्यता नहीं मानी जाय ।

कृपया अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभुकों के चयन के समय उपरोक्त निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव ।

(श्याम)

२३।६।०५